



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2015—भाद्र 5, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

क. एफ 73-1/2012/38-3 : मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

संशोधन

उक्त नियमों में, –

(एक) नियम 2 में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 एवं ऐसे अन्य विश्वविद्यालय अधिनियम जिनमें राज्य विश्वविद्यालय सेवा से नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ;"

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(गग) ”अन्य पिछड़ा वर्ग से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 / 25 / 4 / 84, दिनांक 26.12.84 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;”

(तीन) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(छ) ”सेवा“ से अभिप्रेत है म.प्र. विश्वविद्यालय सेवा जिसमें सम्मिलित हैं अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट समस्त पद ;”

(चार) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ज) ”विश्वविद्यालय“ से अभिप्रेत है ऐसा विश्वविद्यालय जिस पर मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम लागू है तथा अन्य विश्वविद्यालय जो राज्य में उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए हों।“

2. नियम 5 में,—

(क) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ख) सेवा में समाविष्ट निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नति द्वारा ।”

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) अनुसूची—एक में दर्शाये गए अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा ।”

3. नियम 5 के उपनियम (3) का लोप किया जाए।

4. नियम 7 का लोप किया जाए।

5. नियम 8 में खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) में शब्द “अनुसूचित जनजातियों” के पश्चात् शब्द “अन्य पिछड़ा वर्ग” जोड़े जाएं।

6. नियम 10 में शब्द “किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और आयोग द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा, जिसे उसके द्वारा प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो” के स्थान पर, शब्द “किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसे उसके द्वारा परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो”;

7. नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“11 सीधी भर्ती

(1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार, आयोग के प्रामाण से, समय समय पर अवधारित करें।

(2) सेवा में उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा उनकी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा।

(3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान कमातः उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों।

- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछ़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उस कम में विचार किया जाएगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हो चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछ़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया हो, प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए उपनियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
- (6) यदि समस्त आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछ़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त सख्त्य में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां अनन्य रूप से उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए पुनर्विज्ञापित की जायेगी। आरक्षण के संबंध में समय समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।"

8. नियम 13 में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए,
अर्थात् :-

"(3) ऐसे पदों पर जिनमें अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार पदोन्नति की प्रतिशतता 33 प्रतिशत या उससे अधिक हो, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत रिक्तियां कमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी, जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के पात्र हों। आरक्षण के संबंध में समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।"

9. नियम 25 को लोप किया जाए।

10. नियम 28 में, उपनियम (1), (2) एवं (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

"(1) उपनियम (2) (3) तथा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अधिनियमितियों तथा नियम अथवा उनके अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाहियों, अपीलों, पुनर्विलोकनों एवं अन्य उपचारों तथा दंड के विरुद्ध अभ्यावेदनों के बारे में अनुदेश जैसे वे तत्समय राज्य सरकार के अधिकारियों को लागू होते हों, सेवा के अधिकारियों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) सेवा के सदस्यों की बरखास्तगी या सेवा से हटाने या पदावनत करने या दंड देने की शक्ति राज्य शासन में निहित होगी।

(3) राज्य, विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारी को निलंबित करने या उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी राज्य शासन होगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव.

11. अनुसूची—एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची—एक

(नियम 4 तथा 5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	राज्य शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशता			
				सीधी भरती द्वारा देखिये नियम एक (क)	पदोन्ति द्वारा देखिये नियम 5 एक (ख)	प्रतिनियुक्ति द्वारा देखिये नियम 5 एक (ग)	रिसार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कुलसचिव	11	37400-67000+ 10000 एजीपी	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	देखें परिशिष्ट-1 एवं 2
1-क	परीक्षा नियंत्रक	06	37400-67000+ 10000 एजीपी	-	-	100 प्रतिशत	देखें परिशिष्ट-1 एवं 2
2	उप—कुलसचिव	24	15600-39100+ 7600 एजीपी	-	100 प्रतिशत	-	देखें परिशिष्ट-1 एवं 2
3	सहायक कुलसचिव	40	15600-39100+ 6600 एजीपी	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	देखें परिशिष्ट-1 एवं 2
4	नियंत्रक *विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी	01	15600-39100+ 7600 एजीपी	-	-	100 प्रतिशत	देखें परिशिष्ट-1 एवं 2
5	उप—नियंत्रक** विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी	04	15600-39100+ 6600 एजीपी	-	-	100 प्रतिशत	देखें परिशिष्ट-1 एवं 2

	वित्त नियंत्रक	06	37400-67000+ 8900/- एजीपी	-	-	100 प्रतिशत	देखें परिशिष्ट-1 एवं 2
6ख	वित्त अधिकारी	04	37400-67000+8700 एजीपी	-	-	100 प्रतिशत	देखें परिशिष्ट-1 एवं 2
7	विश्वविद्यालय इंजीनियर	08	15600-39100+7600 एजीपी	-	-	100 प्रतिशत	देखें परिशिष्ट-1 एवं 2

नोट-

1. समय समय पर विश्वविद्यालयों के लिए स्वीकृत पद कुल संख्या में शामिल होते जाएंगे । अनुसूची के संक. 1, 2, 3 पर ही कुल स्वीकृत संख्या के 25 प्रतिशत तक ही अधिकारी अन्य विभागों द्वारा अधिनियमित अधिनियमों से संचालित विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा विभाग में ही प्रतिनियुक्ति हेतु मान्य होंगे ।
2. *नियंत्रक विश्वविद्यालय मुद्रणालय (15600-39100+7600 एजीपी) के एक पद को नियंत्रक विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।
3. **उप नियंत्रक विश्वविद्यालय मुद्रणालय (15600-3900+6600एजीपी) के चार पदों को उप नियंत्रक विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

12. उक्त नियमों में, अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए अर्थात् –

“अनुसूची-दो”

(नियम 8 देखिए)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कुलसचिव	32 वर्ष	45 वर्ष	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत न्यूनतम अंकों या समकक्ष ग्रेड पाइंट स्केल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण । (2) मान्यताप्राप्त शासकीय अथवा शासन द्वारा संचालित स्वशासी संस्था / उपकम में 10 वर्ष का प्रशासनिक / अकादमिक प्रशासन / शैक्षणिक कार्यों का न्यूनतम अनुभव ।
2.	सहायक कुलसचिव	25 वर्ष	35 वर्ष	(1) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों ग्रेड/स्केल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण उत्तीर्ण । (2) मान्यताप्राप्त शासकीय अथवा शासन द्वारा संचालित स्वशासी संस्था / उपकम से 03 वर्ष का प्रशासनिक / अकादमिक प्रशासन / शैक्षणिक अनुभव ।

13. ३३. उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“अनुसूची-तीन”

(नियम 13,14 एवं 15 देखिये)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	पदोन्नति के लिये आवश्यक	पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कुलसचिव	उप-कुलसचिव	कॉलम (3) में उल्लिखित पद (पदों) पर 7 वर्ष का अनुभव	1. अध्यक्ष, म.प्र. लोक सेवा आयोग— अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. सदस्य 3. आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सदस्य 4. आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि सदस्य
2.	उपकुलसचिव	सहायक कुलसचिव	कालम (3) में उल्लिखित पद (पदों) पर 5 वर्ष का अनुभव	1. अध्यक्ष, म.प्र. लोक सेवा आयोग— अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. सदस्य 3. आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सदस्य 4. आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि सदस्य
3.	सहायक कुलसचिव	1. अनुभाग अधिकारी / वरिष्ठ अधीक्षक 2. कुलपति / कुलसचिव के निंजी सहायक जो वरिष्ठ अधीक्षक के वेतनमान में हो	कॉलम (3) में उल्लिखित पद (पदों) पर 5 वर्ष का अनुभव	1. अध्यक्ष, म.प्र. लोक सेवा आयोग— अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. सदस्य 3. आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सदस्य 4. आरक्षित वर्ग— अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि सदस्य
4.	नियंत्रक, विश्वविद्यालय मुद्रणालय	उप नियंत्रक विश्वविद्यालय, मुद्रणालय	कॉलम (3) में उल्लिखित पद पर 7 वर्ष का अनुभव	

टिप्पण : सभी विश्वविद्यालयों में कॉलम (3) में उल्लिखित पद धारण करने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय नियम 21 में अधिकथित सिद्धांतों के अनुसार नाम व्यवस्थित किए जाएंगे।

परिशिष्ट-1

मूल नियम की अनुसूची—एक में वर्णित पदों के वेतनमानों की स्थिति

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15—ग की उपधारा (2) व्यास प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाए गए राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 (दिनांक 4 अप्रैल 1983 को प्रथम बार प्रकाशित) एवं संशोधन दिनांक 4 जुलाई 2007 तथा दिनांक 20 फरवरी 2008 की अनुसूची—1 में सेवा में समिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है—

अनुक्रमांक	सेवा में समिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	01.01.1986 की स्थिति में वेतनमान	01.01.1996 की स्थिति में वेतनमान	01.01.2006 की स्थिति में वेतनमान
1.	कुलसचिव	देखें परिशिष्ट-2	4	5	6
1.	कुलसचिव	देखें परिशिष्ट-2	4500—150—5700—200—7300	16400—450—20900—500—22400	37400—67000 + 10000 एजीपी
2.	परीक्षा नियंत्रक	देखें परिशिष्ट-2	4500—150—5700—200—7300 (यू.जी.सी.)	16400—450—20900—500—22400 (यू.जी.सी.)	प्रतिनियुक्ति का पद जो कि 04 जुलाई 2007 निर्मित किया गया है। वेतनमान 37400—67000 + 10000 एजीपी (16400—450—20900—500—22400)
3.	उप-कुलसचिव	देखें परिशिष्ट-2	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500	15600—39100—7600 एजीपी
4.	सहायक कुलसचिव	देखें परिशिष्ट-2	3000—100—3500—125—4500	10000—325—15200	15600—39100—6600 एजीपी
5.	नियंत्रक विश्वविद्यालय मुद्रालय	देखें परिशिष्ट-2	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500	15600—39100—7600 एजीपी
6.	उपनियंत्रक विश्वविद्यालय मुद्रालय	देखें परिशिष्ट-2	3000—100—3500—125—4500	10000—325—15200	15600—39100—6600 एजीपी
7.	वित्त अधिकारी	देखें परिशिष्ट-2	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500	प्रतिनियुक्ति का पद जो कि 20 फरवरी 2008 से वित्त अधिकारी के 6 पद वित्त नियंत्रक के पदों में उल्लंघित किये गये हैं। वेतनमान 37400—67000 + 8900 एजीपी (16400—450—20000)
8.	वित्त अधिकारी	देखें परिशिष्ट-2	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500	प्रतिनियुक्ति का पद 15600—39100—7600 एजीपी
9.	वित्त अधिकारी	देखें परिशिष्ट-2	—	—	प्रतिनियुक्ति का पद 37400—67000+8700 एजीपी
10.	विश्वविद्यालय यंत्री	देखें परिशिष्ट-2	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500	प्रतिनियुक्ति का पद 15600—39100—7600 एजीपी
11.	विश्वविद्यालय यंत्री	देखें परिशिष्ट-2	—	—	प्रतिनियुक्ति का पद 15600—39100—6600 एजीपी

परिशिष्ट-2

विश्वविद्यालयों में राज्य विश्वविद्यालय सेवा संर्कार के स्वीकृत पद

क्र.	विश्वविद्यालय	कुलसंचिव	उपकुलसंचिव	सहायक कुलसंचिव	नियंत्रक विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी	उप नियंत्रक विश्वविद्यालय प्रेस सूचना प्रौद्योगिकी	वित्त नियंत्रक	वित्त अधिकारी	विश्वविद्यालय इंजीनियर	परीक्षा नियंत्रक
1.	बारकराउला विश्वविद्यालय भोपाल	01	05	06	—	01	01	—	01	01
2.	जीवांगी विश्वविद्यालय ग्वालियर	01	03	05	—	—	01	—	01	01
3.	देवी अहिलया विश्वविद्यालय इंदौर	01	04	08	01	01	01	—	01	01
4.	रानी दुर्गावटी विश्वविद्यालय जबलपुर	01	04	06	—	01	01	—	01	01
5.	अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा	01	03	05	—	—	01	—	01	01
6.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	01	03	05	—	01	01	—	01	01
7.	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय	01	02	04	—	—	—	01	01	—
8.	मध्यप्रदेश भोज (पुर्व) विश्वविद्यालय, भोपाल	01	—	—	—	—	—	01	—	—
9.	महर्षि पाणिनि सरस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन	01	—	—	—	—	—	01	01	—
10.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (सतना)	01	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	अटलबिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल	01	—	—	01	—	—	01	—	—
	कुल	11	24	39	01	04	06	04	08	06

नोट— निम्नलिखित पद तत्कालीन हरिसिंह गोर विश्वविद्यालय सागर के लिए स्वीकृत थे जो कि विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाने के कारण स्वरूप समाप्त माने गये हैं।

कुलसंचिव	उपकुलसंचिव	सहायक कुलसंचिव	नियंत्रक विश्वविद्यालय प्रेस	उपनियंत्रक विश्वविद्यालय प्रेस	वित्त नियंत्रक	वित्त अधिकारी	विश्वविद्यालय इंजीनियर	परीक्षा नियंत्रक
01	05	07	—	01	01	—	01	01

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

क्र. एफ. 73-1-2012-अड़तीस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 73-1-2012-अड़तीस-3 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव.

Bhopal the 27th August 2015

No F 73-1/2012/38-3 : In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 15-C of the Madhya Pradesh Vishwavidhyalaya Adhiniyam, 1973 (No.22 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules —

1. in rule 2-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) “Act” means the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 and such other Vishwavidyalaya Adhiniyam in which provision of appointment from state University Service has been made;”;

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(cc) “Other Backward classes” means other Backward classes of citizen as specified by the State Government vide notification No. F-8-5/XXV-4-84 dated the 26th December 1984 as amended from time to time;”;

(iii) for clause (g), the following clause shall be substituted namely:-

“(g) “Service” means the Madhya Pradesh State University Service which also includes all the posts as specified in Schedule-1;”;

(iv) for clause (h), the following clause shall be substituted namely:-

“(h) “University” means a University to which the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 is applicable and other Universities which have been established under an Act of the State;”;

2. in rule 5,

(a) In sub rule (1) for clause (b) the following clause shall be substituted, namely :-

"(b) By promotion of persons, holding a lower to a higher post comprising the service."

(b) In sub rule (1) for clause (c) the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) By deputation as shown in Schedule-I;"

3. In Rule 5, Sub rule (3) shall be omitted.
4. Rule 7 shall be omitted.
5. In rule 8, in clause (i), in sub-clause (b) after the words "a Scheduled Tribes" the words" or Other Backward classes" shall be inserted.
6. In rule 10, for the words "and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall be interviewed by them", the words " and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall be permitted to appear in the examination and interview held by them" shall be substituted.
7. For rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-
 "11 direct recruitment.
 - (1) Selection for recruitment to the service may be held at such interval as the State Government may in consultation with the commission, determine from time to time.
 - (2) The Selection of suitable candidates for the service shall be made by the Commission after written examination and interview.
 - (3) 16 percent, 20 percent and 14 percent of available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively.
 - (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

- (5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other Backward Classes considered by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for them under sub-rule(3).
- (6) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised exclusively for these candidates. The instruction issued from time to time by the General Administration Department in respect of reservation shall be applicable.".

8. In rule 13, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) 16 percent and 20 percent of available vacancies for promotion in such posts in which percentage of promotion is 33 percent or more as specified in Schedule-1 shall be reserved for the officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 14. The instruction issued from time to time by General Administration Department in respect of reservation in promotion shall be applicable.";

9. Rule 25 shall be omitted.

10. In rule 28, for sub-rule (1), (2) and (3) the following sub-rules shall be substituted, namely:-

- (1) Subject to the provision of sub-rules (2), (3) and (4) the enactments and rules or in their absence instruction regarding disciplinary proceedings, appeals, reviews, other remedies and representations against punishment as are applicable to the officers of the State Government for the time being in force shall 'mutatis mutandis' apply to officers of the service.
- (2) The power to impose the punishment of dismissal or removal from service or reduction in rank on the members of the service shall vest with the State Government.
- (3) The State Government shall be the competent authority to suspend the Officers of State University Service or institute departmental enquiry against them.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. VIJAY, Dy. Secy.

11. For Schedule-1 the following schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-1
(See Rule 4 and 5)
Method of recruitment

Sr.No.	Name of Post included in the Service	Total Number of duty posts	Scale of pay sanctioned by the State Government + Grade Pay	Percentage of Number of Duty post to be filled			Remarks
				By Direct recruitment (see rule 5(1) (a))	By Promotion see rule 5(1) (b)	By temporary transfer on deputation of persons of other service (see rule 5(1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Registrar	11	37400-67000+ 10000	25%	75%	-	See Annexure 1 & 2
1A	Controller Examination	06	37400-67000+ 10000	-	-	100%	See Annexure 1 & 2
2	Deputy Registrar	24	15600-39100 + 7600/-	-	100%	-	See Annexure 1 & 2
3	Assistant Registrar	40	15600-39100 + 6600/-	75%	25%	-	See Annexure 1 & 2
4	*Controller University Information Technology	01	15600-39100 + 6600/-	-	-	100%	See Annexure 1 & 2
5	**Deputy Controller University Information Technology	04	15600-39100 + 6600/-	-	-	100%	See Annexure 1 & 2
6	Finance Controller	06	37400-67000 + 8900	-	-	100%	See Annexure 1 & 2
6-B	Finance Officer	04	37400-67000 + 8700	-	-	100%	See Annexure 1 & 2
7	University Engineer	08	15600-39100 + 7600	-	-	100%	See Annexure 1 & 2

Note:

- The posts sanctioned from time to time for University shall be included in the total Number of . 25% of total posts of Serial number 1,2,3 shall be agreed for deputation to other Universities regulated by other departments or Higher Education Department of M.P. Govt.
- *Conversion of one post of Controller University Press (15600-39100+6600AGP) to one post of University Controller Information technology in equivalent pay scale.
- ** Conversion of four posts of Deputy Controller University Press (15600-39100+5400 AGP) to four posts of University Deputy Controller Information technology in equivalent pay scale.

12. In the said rules for Schedule-II for the Serial No.1 and 2 and entries relating thereto the following serial No. and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-II
(See Rule 8)
Age and Qualification of Persons Recruited Directly/Deputation

Sr.No.	Name of Post included in the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Registrar	32	45	<ul style="list-style-type: none"> (1) Post Graduate Degree with minimum of 55% Marks or equivalent grade point scale as applicable from any recognized University or any equivalent Degree (2) Minimum 10 years experience in the field of Administration / Academic Administration / Teaching in any Govt. or Autonomous Government Institution.
2	Assistant Registrar	25	35	<ul style="list-style-type: none"> (1) Post Graduate Degree with 55% Marks or equivalent grade point scale as applicable from any recognised University or any equivalent Degree. (2) Minimum 03 years experience in the field of Administration / Academic Administration / Teaching in any Govt. or Autonomous Government Institution."

13. In the said Rules for Schedule- III the following scheduled shall be substitute

"Schedule – III

(See Rules 13, 14 and 15)

Post to be filled by promotion

Sr.No.	Name of post included in the Service to which promotion is to be made	Name of the post from which promotion shall be made	Qualifications for promotion	Members of promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registrar	Dy. Registrar	7 years experience in the post(s) mentioned in Column (3)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or a Member nominated by him - Chairman 2. Principal Secretary / Secretary Higher Education Department Madhya Pradesh - Member 3. Commissioner Higher Education Madhya Pradesh - Member 4. One nominated officer from Scheduled castes / Scheduled Tribes category member
2.	Dy. Registrar	1. Assistant Registrar	5 years experience in the post(s) mentioned in Column(3)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or a Member nominated by him - Chairman 2. Principal Secretary / Secretary Higher Education Department Madhya Pradesh - Member 3. Commissioner Higher Education Madhya Pradesh - Member 4. One nominated officer from Scheduled castes / Scheduled Tribes category member
3.	Asstt. Registrar	1. Section Officer / Senior Superintendent 2. PAs to Kulpatti / Registrars in the pay scale of senior Superintendent	5 years experience in the post(s) mentioned in column (3)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or a Member nominated by him - Chairman 2. Principal Secretary / Secretary Higher Education Department Madhya Pradesh - Member 3. Commissioner Higher Education Madhya Pradesh - Member 4. One nominated officer from Scheduled castes / Scheduled Tribes category member.
4.	Controller, University Press	Deputy Controller University press	7 years experiences in the post (s) mentioned in column (3)"	

Note:-

While preparing the seniority list of person holding posts mentioned in column (3) in all Universities, names shall be arranged in accordance with the principles laid down in Rule 21.

Annexure-1

Status of Pay Scales of posts mentioned in Schedule-1 of the said Act

In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 15-C of the Madhya Pradesh Vishwavidhyalaya Adhiniyam 1973 (No. 22 of 1973) the Madhya Pradesh State University Service rules 1983 were made published first time on 4th April 1983) and amended on 4th July 2007 and 20th February 2008. The pay scales of these Posts mentioned in Schedule-1 and amendments are clarified as under:-

S.N o.	Name of Post Included in service	Total No. of duty posts	Pay Scale as on 01.01.1986	Pay Scale as on 01.01.1996	Pay Scale as on 01.01.2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Registrar	See Annexure-2	4500—150—5700—200—7300	16400—450—20900— 500—22400	37400—67000 + 10000 AGP
2.	Examination controller	See Annexure-2	4500—150—5700—200—7300 (UGC Scale)	16400—450—20900— 500—22400 (UGC Scale)	Post of deputation created on 4 th July 2007 Pay Scale 37400—67000 + 10000 AGP (16400—450—20900— 500—22400 (UGC Scale))
3.	Deputy Registrar	See Annexure-2	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500	15600—39100—7600 AGP
4.	Assistant Registrar	See Annexure-2	3000—100—3500—125—4500	1000—325—15200	15600—39100—6600 AGP
5.	Controller University Press	See Annexure-2	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500	15600—39100—7600 AGP
6.	Deputy Controller University press	See Annexure-2	3000—100—3500—125—4500	1000—325—15200	15600—39100—6600 AGP
7.	Finance Officer Anneuxre-2	See Annexure-2	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500	Post of deputation upgraded to post Finance Controller 20 th February 2008 Pay Scale 37400—67000 + 8900 AGP (16400—450—20000)
8.	Finance Officer (Annexure 2)	See Annexure-2	—	—	Post of deputation 15600—39100—7600 AGP
9	Finance Officer (Annexure 2)	See Annexure-2	—	—	Post of deputation 37400—67000+8700 AGP
10.	University Engineer (Annexure-2)	See Annexure-2	3700—125—4700—150—5000	12000—375—16500	Post of deputation 15600—39100—7600 AGP
11	University Engineer (Annexure-2)	See Annexure-2	—	—	Post of deputation 15600—39100—6600 AGP

Annexure-2
University wise sanctioned posts of State University Service

S.No.	University	Registrar	Deputy Registrar	Assistant Registrar	Controller University Information Technology	Deputy Controller University Information Technology	Finance Controller	Finance Officer	University Engineer	Examination Controller
1.	Barkatullah University, Bhopal	01	05	06	—	01	01	—	01	01
2.	Jiwaji University, Gwalior	01	03	05	—	—	01	—	01	01
3.	Devi Ahilya University, Indore	01	04	08	01	01	01	—	01	01
4.	Rani Durgawati University, Jabalpur	01	04	06	—	01	01	—	01	01
5.	Awadesh Pratap Singh University, Rewa	01	03	05	—	—	01	—	01	01
6.	Vikram University, Ujjain	01	03	05	—	01	01	—	01	01
7.	Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University	01	02	04	—	—	—	01	01	—
8.	Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal	01	—	—	—	—	—	01	—	—
9.	Maharishi Panini Sanskrit and Vedic University, Ujjain	01	—	—	—	—	—	01	01	—
10.	Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya University, Chitrakoot (Satna)	01	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	Atal Bihari Vajpayee Hindi University, Bhopal	01	—	—	—	—	—	01	—	—
	Total	11	24	39	01	04	06	04	08	06

Note:- Following posts were sanctioned for the then Dr. H.S. Gour University, after its conversion into Central University) these posts are treated as abolished

Registrar	Deputy Registrar	Assistant Registrar	Controller University Press	Deputy Controller University Press	Finance Controller	Finance Officer	University Engineer	Examination Controller
01	05	07	—	01	01	—	01	01